न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 76/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्री अजीज मंसूरी पुत्र श्री पीरू मंसूरी नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा मृतक बजाय विधिक वारिसान–

1/1 कमरूदीन पिता अजीज मन्सूरी निवासी हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

1/2 शमसूदीन पिता अजीज मन्सूरी नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

1/3 जाकीर पिता अजीज मन्सुरी निवासी हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

1/4 आजाद पिता अजीज मन्सुरी निवासी हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री जगदीश हरगण(टेलर) नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवी लाल पुत्र श्री नाथु सुनार नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति लाली पत्नी श्री श्याम लाल सुवालका निवासी कोजुन्दा तह गंगरार जिला चितौडगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री दिनेश मण्डोवरा**

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 अनुपस्थित

पेरोकार सरकार....................विपक्षी क्रम 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04/02/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 29/11/2017 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी संख्या 3892/1 रकबा 01 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी हम अधिकार की आराजी संख्या 4164/3892 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो हमीरगढ से सादी आम रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 3890 व विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 389[illegible] दक्षिणी मेड से होकर आराजी न. 3892/1 एवं 4164/3892 में आने जाने [illegible] प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से [illegible] है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता [illegible] नही है। व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:41:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित है, जिसकी आराजी नम्बर 3892/1 एवं 4164/3892 में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि हमीरगढ से सादी आम रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 3890 व विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 3891 की दक्षिणी मेड से होकर होते हुए प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में आता है। को रास्ता से 20 फिट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एंव उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान लिए सहमत हूँ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 10.01.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र के खण्डन मे विपक्षी संख्या 01 द्वारा दफा 11 जा.दी. दिनांकित 08–08–2018 के प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 20.06.2019 को प्राप्त होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। जिस पर बहस हेतु अभिभाषक प्रार्थी यानि विपक्षी को सम्यक अवसरदिये जाने के उपरान्त उनके द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस प्रस्तुत नही की गई, लिहाजा प्रार्थनापत्र दफा 11 जा.दी. को प्रार्थी की ओर से पैरवी के अभाव में खारिज किया गया । सम्भवताया यह पश्चातवृती मूल प्रार्थना 672/2013(275/2014) दफा 11 सी0पी0सी में वर्णित प्रावधानों का उलन्घन कर प्रस्तुत किया गया हो। किन्तु फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी को अपने तर्को को सिद्ध करने के लिए ठोस पेरवी की जानी चाहीए थी। प्रतिवादी सख्या 02 कि तरफ से जवाब प्रस्तुत नही हुआ। विपक्षी संख्या 01, 02 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 04.02.2021 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01, 02 एंकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/84 दिनांक 08.02.2021 से भिजवाई गई जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा हमीरगढ स्थित आराजी नम्बर 3890 रकबा 5–12 में से 0.04 बीघा, आराजी नम्बर 3891 रकबा 0–06 मे से 0.01 बीघा, आराजी नम्बर 3892/1 रकबा 1–14 बीघा में से 0.01 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है।

इस संबधं में राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) [illegible] (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे [illegible] अपेक्षा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि [illegible] उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:41:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार हमीरगढ की

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत आ.न. 3892/1 एवं 4164/3892 में आने जाने हेतु ख. न. 3890,3891,3892/1 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थिया के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम हमीरगढ तह हमीरगढ में स्थित खसरा संख्या 3892/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं 4164/3892 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा है0 में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 3890 रकबा 5—12 में से 0.04 बीघा, आराजी नम्बर 3891 रकबा 0—06 मे से 0.01 बीघा, आराजी नम्बर 3892/1 रकबा 1—14 बीघा में से 0.01 बीघा आवागमन हेतु हमीरगढ से सादी आम रोड रोड के दक्षिणी मेड के सहारे में प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। खर्चा फरकीन अपना—अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 04—02—2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:41:44 IST
Reason: SelfAttested